संख्या-22/2025/सा-3-558/दस-2025-301(04)/2025

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 10 सितम्बर, 2025

विषयः उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025 ।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया कि राज्य सरकार के कतिपय विभागों अथवा विभागों के अधीन संगठनों में ऐसे व्यक्ति कार्यरत रहे हैं जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्गत किसी नियमावली/विनियमावली में प्रावधानित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार मौलिक रूप नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी और न ही कभी किसी नियमावली के तहत उनका विनियमितीकरण किया गया। ऐसे व्यक्तियों द्वारा मा0 न्यायालयों में इस आशय से वाद योजित किये जा रहे हैं कि सरकारी कार्मिकों की भांति उनको भी पेंशन इत्यादि का लाभ प्रदान किया जाय।

2- उपर्युक्त के दृष्टिगत पेंशन हेतु पात्रता को परिभाषित करते हुये विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-174/79-वि-1-2025-2-क-9-2025 दिनांक 02 सितम्बर, 2025 द्वारा "उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025" प्रख्यापित किया गया है, की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025 के अनुसार पेंशन की अनुमन्यता से संबंधित ऐसे प्रकरणों में उक्त अध्यादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मा० महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

2- प्रमुख सचिव, न्याय/विधायी, उत्तर प्रदेश शासन।

3- समस्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/ लखनऊ पीठ, लखनऊ।

4- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त वित नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम-संख्या–150

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, 2 सितम्बर, 2025

भाद्रपद 11, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 174/79-वि-1–2025-2-क-9-2025
लखनऊ, 2 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2025) जिससे वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है, जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2025)

[भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

पेंशन की हकदारी और इस निमित्त कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 1 अप्रैल, 1961 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए;

(क)"सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से होगा;

(ख) "विनियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किसी अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके बनायी गयी किसी विनियमावली से होगा और इसमें उत्तर प्रदेश में प्रयोज्य हेतु यथा अंगीकृत सिविल सेवा विनियमावली तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनायी गयी कोई अन्य विनियमावली सम्मिलित होगी।

(ग) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किसी अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके बनायी गयी किसी नियमावली से होगा और इसमें उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 और संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनायी गयी कोई अन्य नियमावली सम्मिलित होगी।

(घ) "मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से होगा, जिसे सरकार के किसी स्थायी स्थापन में सरकार द्वारा सम्यक रूप से सृजित किसी अस्थायी या स्थायी पद हेतु प्रयोज्य नियमावली या विनियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया गया हो।

पेंशन की हकदारी

3—किसी नियम, विनियम या शासनादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति—

(क) जो सरकार के किसी विभाग में या किसी विभाग के अधीन किसी संगठन में मौलिक रूप से नियुक्त नहीं है; और

(ख) जो अंशदायी भविष्य निधियां कर्मचारी भविष्य निधि का अभिदाता है या रहा हो;

पेंशन प्रदान करने से संबंधित किसी भी नियम, विनियम या सरकारी आदेश के अधीन पेंशन का हकदार नहीं होगा।

विधिमान्यकरण

4—किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, की गयी सभी कार्यवाहियां, कृत कार्य या जारी किए गए शासनादेश या तात्पर्यित कार्यवाही, कार्य या जारी शासनादेश, जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, जो मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति नहीं हैं और जो किसी अंशदायी भविष्य निधि या कर्मचारी भविष्य निधि के अभिदाता हैं या रहें हैं, को पेंशन देने से इन्कार किया गया हो, इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गई समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होंगी तथा सदैव से विधिमान्यकृत समझी जायेंगी, मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 1961 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

अध्यारोही प्रभाव

5—अन्यथा उपबंधित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट इस अध्यादेश से असंगत किसी बात के होते हुए भी इस अध्यादेश के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 174/LXXIX-V-1–2025-2-ka-9-2025

Dated Lucknow, September 02, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pension Ki Hakdaari Tatha Vidhimanyakaran Adhyadesh, 2025 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 9 of 2025) promulgated by the Governor. The Vitt (Samanya) Anubhag-3 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH ENTITLEMENT TO PENSION AND VALIDATION ORDINANCE, 2025

(U.P. Ordinance no. 9 of 2025)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-sixth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

to provide for entitlement to pension and to validate certain actions taken in this behalf and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Entitlement to Pension and Validation Ordinance, 2025.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on April 1, 1961.

Definitions

2. For purposes of this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

(a) "*Government*" shall mean the Government of Uttar Pradesh;

(b) "*regulations*" shall mean any regulations in exercise of any power conferred by any enactment by the State of Uttar Pradesh and shall include the Civil Service Regulations as adopted for application in Uttar Pradesh and any other regulations made by the Governor of Uttar Pradesh;

(c) "*rules*" shall mean any rules made in exercise of any power conferred by any enactment by the State of Uttar Pradesh and shall include the Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961 and any other rules made by the Governor of Uttar Pradesh under the proviso to Article 309 of the Constitution;

(d) "*substantive appointee*" shall mean any person who has been appointed in accordance with the procedure prescribed in the applicable rules or regulations to any temporary or permanent post duly created by the Government in a permanent establishment of the Government.

Entitlement to Pension

3. Notwithstanding anything contained in any rules, regulations or Government orders, no person who,—

(a) is not a substantive appointee in any department or in any organization under any department of the Government; and

(b) is or has been a subscriber to any Contributory Provident Fund or the Employees' Provident Fund;

shall be entitled to pension under any rules, regulations or Government orders relating to the grant of pension.

Validation

4. Notwithstanding any judgement, decree or order of any Court, Tribunal or Authority, all actions taken, things done or Government orders issued or purporting to have been taken, done or issued, by which pension has been denied to any persons or class of persons who are not substantive appointees and who are or have been subscribers to any Contributory Provident Fund or the Employees' Provident Fund, shall be deemed to be and always to have been validly taken, done or issued under the provisions of this Ordinance and to be and always to have been valid as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times with effect from April 1, 1961.

Overriding effect

5. Save as otherwise provided, the provisions of this Ordinance shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law for the time being in force other than this Ordinance.

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 165 राजपत्र–2025–(468)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 63 सा0 विधायी–2025–(469)–70+230=300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।